भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3615
(10 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

3615. श्री संतोष पान्डेयः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा स्वीकृत सड़कों और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विकासरत सड़कों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त सड़कों की लंबाई (कि॰मी॰) कितनी है और अनुमानित लागत क्या है;
(ग) उन सड़कों की संख्या कितनी है जिनके लिए पी॰डब्ल्यू॰डी॰ छत्तीसगढ़ से उक्त एजेंसी को प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है;
(घ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में राजनंदगांव के तहत डोंगरगढ़ से बोरतलब तक अंतर्राज्यीय राजमार्ग के संबंध में रु. 1392.69 लाख की संशोधित अनुमानित लागत वाला दिनांक 22.07.2019 का प्रस्ताव उक्त एजेंसी में स्वीकृति के लिए लंबित है; और
(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न कार्यकलापों/शीर्षों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वीकृत, पूरे किए गए और जारी सड़क कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(मूल्य करोड़ में और लंबाई किमी. में)

स्वीकृत		स्वीकृत की गई योजनाओं का मूल्य (रूपए करोड़ में)	पूरे किए गए सड़क कार्य		जारी सड़क कार्य	
संख्या	लंबाई		संख्या	लंबाई	संख्या	लंबाई
8,085	38,199	13,742	6,974	32,119	1,111	4,918*

*शेष सड़क लंबाई स्वीकृत और निर्मित सड़कों की लंबाई के अंतर से कम है। इसका कारण यह है कि घुमाव की लंबाई में कमी, संरेखण में बदलाव तथा सड़क कार्यों के कुछ हिस्सों का निर्माण अन्य एजेंसियों द्वारा किए जाने इत्यादि की वजह से कुछ बस्तियों को स्वीकृत लंबाई से कम लंबाई वाली सड़कों से जोड़ा गया था।

(ग): लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 570.29 करोड़ रूपए मूल्य के 1068.115 किमी. लंबाई वाली 189 सड़कों का प्रस्ताव किया है। छत्तीसढ़ राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 10.12.2019 को आयोजित होनी तय हुई है।

(घ) से (ङ): छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के तहत डोंगरगढ़ से बोरतालाब के लिए आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत अनुमान में संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। राज्य को दिनांक 28.11.2019 के पत्र द्वारा सूचित किए गए तकनीकी मुद्दों के संबंध में की गई कतिपय टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। टिप्पणियों का संतोषजनक अनुपालन किए जाने के बाद प्रस्ताव पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

*****